



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2015/माघ 8, 1936

No. 181]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2015 /MAGHA 8, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2015

का.आ. 250(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 28 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

तालिका

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--|--|
| "28 | राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 और रारा-45ए के उतने भाग जो संघ राज्य क्षेत्र पुदुच्चेरी में अवस्थित हैं। | संघ राज्य क्षेत्र पुदुच्चेरी प्रशासन"। |

[फा. सं. एनएच-14013/1/2015-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार सं. का.आ. 34(अ), तारीख 2 जनवरी, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2015

S.O. 250(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 28 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|---|
| “28 | So much of National Highways No. 17 and 45A as are situated within the Union Territory of Puducherry. | Government of Union Territory of Puducherry”. |

[F. No. NH-14013/1/2015-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note : The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 34(E), dated the 2nd January, 2015.